04.4.18	वकील प्रार्थी उप, नोटिस जारी हो। पत्रावली दि. 15-5-18 को पेश हो।
15.5.18	[illegible] 15/6/18 को पेश हो।
15.6.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 के निवाई में पेश हुयी। अवलोकन किया गया। इस प्रा०पत्र का मूल वाद खारिज हो चुका है। अब इस प्रा०पत्र के चलने का कोई औचित्य शेष नहीं है। अतः प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल मूल वाद हो। 15/6/18 उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक